



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 162974

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27011 / 2026

बंटू कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गरुण पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 973/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना-सिकंदराबाद, जनपद-बुलंदशहर में अधीनस्थ न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और किसी अन्य गुप्त उद्देश्य के कारण उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड में शाखा ऋण प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। ऋण अभिलेख के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अनुसार उधारकर्ता द्वारा ₹9,87,214/- की राशि ली गई थी। आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता अथवा गबन का कोई आरोप नहीं है। धोखाधड़ी एवं गबन का विशिष्ट आरोप सह-अभियुक्त ऋषभ शर्मा एवं नितिन कुमार के विरुद्ध है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त ऋषभ शर्मा को इसी पीठ द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 24891/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 19.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि उसे जमानत की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया।
5. अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
6. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. आवेदक **बंटू कुमार** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उसे भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
 - (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

8. यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण का संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात् ही उन्हें स्वीकार किया जाए।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

दिनांक : 04 अगस्त, 2026

वी.के. उपाध्याय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।